

उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी,
घोड़ाखाल रोड़, भवाली, जिला— नैनीताल, पिन—263132

निविदा सूचना
बुक शैलफ्स (Book Shelves) का क्रय

उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों/तहसीलों में तैनात न्यायाधीशों के आवासीय पुस्तकालय हेतु उच्च कोटि के लगभग 175 नग बुक शैलफ्स (Book Shelves) की आपूर्ति जिला एवं तहसील मुख्यालयों पर किये जाने हेतु मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र, ₹ 500 + 13.5 %VAT = ₹ 568/- के नकद भुगतान पर अकादमी कार्यालय से कार्यालय समय में दिनांक 24.07.2012 से दिनांक 21.08.2012 को पूर्वान्ह 12.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदाएँ दिनांक 21.08.2012 को अपरान्ह 02.00 बजे तक स्वीकार होंगी तथा उसी दिन अपरान्ह 03:30 बजे उपरिथित निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के सम्मुख अकादमी कार्यालय में खोली जाएँगी। निविदा के साथ ₹ 2,00,000.00 (रुपये दो लाख मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी एफ0डी0आर0 जो निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली के पक्ष में बन्धक हो, लगाया जाना अनिवार्य है। मुहरबन्द निविदा प्रपत्र पर “बुक शैलफ्स (Book Shelves) आपूर्ति किये जाने हेतु निविदा” लिखना अनिवार्य है। निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों का अध्ययन भली-भौंति कर लिया जाय। निविदा के नियम एवं शर्तों का अवलोकन मात्र उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की वेबसाइट <http://www.hightcourt of uttarakhand.gov.in> तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) की वेबसाइट <http://www.uk.gov.in> पर भी किया जा सकता है।

संयुक्त निदेशक

अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के आवासीय पुस्तकालय हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में
बुक शैलफ्स की आपूर्ति हेतु निविदा के नियम एवं शर्तें

1. फर्म का ट्रेड टैक्स विभाग का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है तथा रजिस्ट्रेशन की प्रति प्रस्तुत की जानी अनिवार्य होगी।
2. आयकर विभाग का पैन कार्ड की प्रति संलग्न की जानी आवश्यक होगी।
3. फर्म का गत वर्ष का वार्षिक टर्न–ओवर कम से कम 08 करोड़ होना अनिवार्य है। (कृपया प्रमाण पत्र निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें)
4. निविदादाता द्वारा प्रस्तावित बुक शैलफ की गारण्टी/वारण्टी अवधि 01 वर्ष होगी तथा इस अवधि में सामग्री की गुणवत्ता में किसी प्रकार का दोष आने पर आपूर्तिकर्ता को बिना किसी अतिरिक्त भाड़ा/ शुल्क के सामग्री को अपने व्यय पर बदलना होगा।
5. निविदादाता फर्म को निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, जिला—नैनीताल के पक्ष में ₹ 2,00,000.00 (रुपये दो लाख मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0 बंधक किया जाना आवश्यक होगा, जिसकी वैधता अवधि निविदा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक होना अनिवार्य है।
6. अकादमी द्वारा लगभग 175 बुक शैलफ्स को क्रय किया जाना प्रस्तावित है यद्यपि बुक शैलफ्स को क्रय किये जाने की वास्तविक संख्या क्रय आदेश में ही उल्लिखित की जायेगी।
7. आपूर्तिकर्ता फर्म को क्रय आदेश मिलने के उपरान्त 60 दिन के भीतर बुक शैलफ उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों/तहसीलों में नियुक्त न्यायाधीशों के आवास पर अकादमी द्वारा उपलब्ध करायी गई सूची के अनुसार अपने व्यय पर सुरक्षित रूप से पहुँचाने होंगे।
8. आपूर्ति की जाने वाली बुक शैलफ्स Book Shelves की विशिष्टताएं (Specifications) इस प्रकार रहेंगी (कृपया प्रमाण पत्र निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें) :-

- I. Four shelf/door Book Case manufactured by reputed company with ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, BIFMA, Green Guard certified (attach certificates).
- II. The 4 Door book case should be of the size 910-915 mm (W) X 320-325 mm (D) X 1740-1745mm (H) and of rigid knock down construction of prime quality CRCA steel of 0.7-0.9mm thickness.
- III. Each Shelf door shall have 10 Lever Cam lock with common key, 3mm or above thick transparent glass placed in a Metal Frame enclosed through rubber gasket.
- IV. Each Shelf door should have Scissor mechanism for receding inside the top of respective compartment that ensures parallel & smooth movement. Preferably each shelf of the book case should have plastic side end caps as Handle which is easy to grip.
- V. Each shelf of the book case shall have storage shelf of 330mm (H) with UDL capacity of 80Kg max (approx.). It should have Inside Metal Top Panel and should have screw type leveller with hex plastic base.
- VI. The Book Case should be epoxy polyester powder coated to the thickness of 50 microns (+/-10).
- VII. The item should be backed by minimum 12 months warranty on any manufacturing defects.

9. निविदादाता फर्म को आवश्यकता पड़ने पर Book Shelf का वास्तविक नमूना क्रय समिति द्वारा तकनीकी समाधान हेतु अकादमी में मंगाया जा सकता है, जिसका भाड़ा या कोई शुल्क निविदादाता फर्म द्वारा ही वहन किया जायेगा।

10. निविदा प्रपत्र, ₹ 568/- के नकद भुगतान पर अकादमी कार्यालय से कार्यालय समय में दिनांक 24.07.2012 से दिनांक 21.08.2012 को पूर्वान्ह 12.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 21.08.2012 है। उक्त तिथि को अपरान्ह 02.00 बजे तक निविदा प्रस्तुत की जा सकती है तथा उसी दिन अपरान्ह 03.30 बजे निविदायें अकादमी कार्यालय में उपरिथित निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी।

11. निविदादाताओं के द्वारा दरें सभी करों सहित प्रस्तुत की जायेंगी।

12. आपूर्ति किये गये सामग्री की वारंटी एक वर्ष हेतु होगी और वारंटी अवधि में किसी भी प्रकार से भौतिक/तकनीकी खराब होने पर सामग्री को अपने खर्च पर बदलने का दायित्व आपूर्तिकर्ता फर्म का होगा।
13. सामग्री की गुणवत्ता एवं विशिष्टता का परीक्षण क्रय समिति द्वारा किया जाएगा। आवश्यकता होने पर सामग्री की गुणवत्ता के सम्बन्ध में तकनीकी विशेषज्ञों से सामग्री का परीक्षण कराया जा सकता है। क्रय समिति का निर्णय सभी निविदादाताओं को मान्य होगा।
14. फर्म द्वारा दी गई सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
15. निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी को बिना कारण बताये किसी भी निविदा अथवा बुक शेल्फस क्रय करने के प्रस्ताव को रद्द करने का अधिकार है। किसी भी विवाद अथवा परिस्थिति में निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

संयुक्त निदेशक